यालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.

क्रमांक 97/25 दिनांक 26.09.25

-- :: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री गोविन्दलाल पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ शंकरलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुगोर पटवार मण्डल गुगोर तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 50, 49, 46 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ का नाम/~~जाति~~ कंजर: गोविन्दा, गोविन्द, गोमदा पुत्र शंकर अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से गोविन्दलाल पुत्र शंकरलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी गुगोर से करवाने पर पटवारी ने गोविन्दा, गोविन्द, गोमदा पुत्र शंकर के बजाय गोविन्दलाल पुत्र शंकरलाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में गोविन्दा, गोविन्द, गोमदा पुत्र शंकर के बजाय गोविन्दलाल पुत्र शंकरलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम गुगोर के खाता संख्या 50, 49, 46 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ का नाम/जाति कंजर: गोविन्दा, गोविन्द, गोमदा पुत्र शंकर के स्थान पर सम्मानजनक रूप से गोविन्दलाल पुत्र शंकरलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार [illegible] रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)